



न्यायालय : अपर सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट सं0 31, प्रतापगढ़ ।

उपस्थित : - प्रदीप यादव {(उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)}

ID- UP3606

मूल वाद सं0 : 1295/2014

- | | | |
|------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 1. गिरिजा शंकर उम्र लगभग 55 वर्ष | | |
| 2. प्रमोद शंकर उम्र लगभग 48 वर्ष | | सुतगण स्वर्गीय रामदेव |
| 3. प्रभा शंकर उम्र लगभग 45 वर्ष | | |
| 4. मु0 सावित्री उम्र लगभग 75 वर्ष विधवा रामदेव | | |

निवासीगण ग्राम भांटी पो० सूर्यगढ़ जगन्नाथपुर पर०तह०पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

.....वादीगण

बनाम

- | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. जिवधन उम्र लगभग 75 वर्ष | | |
| 2. सुदधू उम्र लगभग 70 वर्ष | | सुतगण स्व० घेराउ निवासी- ग्राम भांटी |
| 3. सुखदेव उम्र लगभग 65 वर्ष | | पो० सूर्यगढ़ जगन्नाथपुर पर०तह०पट्टी, |
| 4. सहदेव उम्र लगभग 58 वर्ष | | जनपद प्रतापगढ़। |
| 5. श्यामशंकर उम्र लगभग 55 वर्ष | | सुतगण स्वर्गीय रामदेव |
| 6. विद्या शंकर उम्र लगभग 54 वर्ष | | निवासी-ग्राम भांटी पो० सूर्यगढ़ |
| | | जगन्नाथपुर पर०तह०पट्टी, जनपद |
| | | प्रतापगढ़। |

.....प्रतिवादीगण

एकपक्षीय निर्णय

वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा योजित किया गया है।

संक्षेप में वादीगण का कथन यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 विवादित भूमि गाटा संख्या 83 रकबा 0.3380 हे०, विवादित रकबा 0.3380 है स्थित ग्राम भांटी पर०तह० पट्टी जन०प्रतापगढ़ के भूमिधर द्वारा पुश्तैनी भूमि, काबिज दखील है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि पर जनधन के बल से कब्जा करके निर्माण करने छप्पर, मढ़ाह रखने तथा

उसमें स्थित वादीगण मेड़ों को तोड़ने तथा वादीगण की बाउंड्री को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 4 का कोई कब्जा दखल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 तरतीवी बाहर होने की वजह से प्रतिवादी बनाए जा रहे हैं प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा दिनांक 28-10-2014 से विवादित भूमि में वादीगण के लगाए हुए आंवले के पेड़ व लगाई हुई फसल नष्ट करने की धमकी दिए जा रहे हैं जिससे प्रस्तुत वाद की आवश्यकता हुई। वादीगण द्वारा यह कथन भी किया गया है कि वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कायम पर्याप्त न्याय शुल्क न्यायालय में दाखिल किया है वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण द्वारा न्यायालय से यह याचना की गई कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि में स्थित वृक्ष, मेड़, सीमांकन को क्षतिग्रस्त करने व उसमें कब्जा करने से प्रतिवादीगण 1 ता 4 को सदा सर्वदा के लिए मना कर दिया जाए। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण 1 ता 4 से दिलाया जाए। अन्य उपशम जिसके वादीगण अधिकारी हो, प्रतिवादी 1 ता 4 से दिलाया जाए।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में तथा अपना पक्ष साबित किए जाने हेतु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त दस्तावेज 10 ग 1 से, कागज सं 11 ग 1 सत्य प्रतिलिपि उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420 - 1425, कागज सं 12 ग 1 सत्य प्रतिलिपि फर्द खसरा फसलीय वर्ष 1420 न्यायालय के अवलोकनार्थ पत्रावली पर दाखिल की गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादीगण द्वारा PW1 के रूप में स्वयं गिरजा शंकर का साक्ष्य शपथपत्र 25 क 2/1 तथा PW2 के रूप में राकेश कुमार पाठक का साक्ष्य शपथपत्र 26 क 2/1 में न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया।

प्रतिवादीगण की तरफ से कोई भी दौरान मुकदमा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया। दिनांक 01.04.2019 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई थी।

पत्रावली पर आयुक्त आख्या 15 ग/2 लगायत मय नक्शा नजरी भी उपलब्ध है।

न्यायालय द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकार वादीगण का यह कहना है कि विवादित भूमि गाटा

संख्या 83 रकबा 0.3380 विवादित रकबा 0.3380 हे० उनकी व प्रतिवादी सं 5 व 6 भूमिधरी पुश्तैनी भूमि है।

यह भूमि इस वाद में विवादित भूमि है जो ग्राम भांटी पर०तह० पट्टी प्रतापगढ़ जिला में स्थित है एवं उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 काबिज दखील है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता सरोकार ना कभी था और ना आज ही है परंतु प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 इस विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करके निर्माण करने छप्पर, मड़ाहा रखने तथा उसमें स्थित पेड़ों को तोड़ने तथा वादीगण की बाउंड्री को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं वादी द्वारा बोयी हुई फसल को नष्ट करने की योजना में है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने विवादित भूमि पर मालिकाना स्वामित्व कब्जा व दखल साबित करने हेतु सत्य प्रतिलिपि उद्धरण खतौनी व सत्य प्रतिलिपि फर्द खसरा दाखिल किया गया। उक्त राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि गाटा संख्या 83 रकबा .3380 विवादित रकबा 0.3380 हे० के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम खातेदार के रूप में नाम दर्ज है। इन राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण 1 ता 4 का नाम विवादित भूमि के समक्ष दर्ज नहीं है।

वादीगण की ओर से वादी सं 1 गिरिजा शंकर का PW1 एवं राकेश कुमार पाठक PW2 का साक्ष्य शपथपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

आयुक्त आख्या 15 ग 2/1, संलग्न नक्शा नजरी से विवादित अक्षर से ए,बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, ए, से दर्शाया गया है। यह भी कथन अंकित है कि विवादित भूमि 083 पर वादी का कब्जा व दखल है तथा कमीशन कार्य के समय बिन्दु ए,बी,सी,डी से प्रदर्शित रेखा पर ईंट की दिवाल उठायी गयी है जो कहीं कहीं 8 कड़ी व कहीं 7 कड़ी ऊंची मौजूद मिली। इसके आंवला के वृक्ष तथा सरसों, मटर, गेहूँ, व बरसीम आदि की फसल बोयी पायी गयी, वादी ने अपने द्वारा बोया जाना बताया। बिन्दु ए,जे, आई, एच से प्रदर्शित रेखा पर पक्की नाली मौजूद है, को वादी ने अपने द्वारा बनवाया जाना बताया। वादग्रस्त भूमि की चौहद्दी मानचित्र में यथास्थान स्थित है। संलग्न मानचित्र आयुक्त आख्या का अंश होगा।

PW1 गिरिजा शंकर द्वारा अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में यह कथन किया है कि गिरिजा शंकर, प्रमोद शंकर, प्रभा शंकर, सावित्री देवी, श्याम शंकर व विद्या शंकर विवादित भूमि में

सह भूमिधर है। विवादित भूमि नक्शा नजरी में अ,ब,स,ब से प्रदर्शित है विपक्षी जिवधन आदि का विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है विवादित भूमि पर आंवले के वृक्ष एवं बाउंड्री को नष्ट करना और गिराने की धमकी प्रतिवादीगण 1 ता 4 का दिनांक 29-10-2014 को दिए जिससे उपरोक्त वाद दायर करने का कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार PW1 ने वाद पत्र का समर्थन किया।

PW2 राकेश कुमार पाठक ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में यह कथन किया कि उसने वादग्रस्त भूमि को देखा है यह भूमि गिरजा शंकर, विद्या शंकर, प्रमोद शंकर, प्रभा शंकर व श्याम शंकर, की पुश्तैनी भूमि-धरी भूमि है इनके पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री रामदेव की भूमि थी उनका कब्जा था उसके बाद इन पांचों का कब्जा दखल है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को भी वह जानता हूँ। इन लोगों का विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 का विवादित भूमि की बाउंड्री गिराना एवं वृक्ष नष्ट करना चाहते हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त साक्ष्य शपथ पत्रों के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई काउंटर शपथ पत्र दाखिल नहीं किए गए। इस संबंध में कुछ विधि व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। "श्रीमती उर्मिला गुप्ता बनाम रमेश चंद्र त्रिपाठी एवं अन्य, 2008 (73) ALR 683" में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि " since no counter affidavit has been filed, this Court is treating the averments made in the writ petition as uncontroverted in the view of the decision of countable supreme Court in "Choksi Tube Company Limited versus Union of India 1997 (11)SCC 179', and "Naseem Bano vs State of UP and others 1993 (22) ALR 307 (SC)'. Wherein the apex court has laid down the law that variable taken is not controverted in reply, it amounts to admission of the plea". अन्य मुख्य नजीर राजीव लोचन पांडे बनाम जिला जज इलाहाबाद एवं अन्य 656 R.D.,C.M.W.P.NO. 18655 of 1998, decided on may 26 , 1998 ". में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " if evidence of affidavit remained unrebuted the court can process on that basis and can accept it."

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध वादीगण के अभिलेखीय साक्ष्य, प्रपत्र व अन्य दस्तावेज जोकि आवश्यक साक्ष्य शपथपत्रों से भी समर्थित है, वादीगण का यह वाद साबित होता है फलस्वरूप दावा वादीगण एकपक्षीय रूप से सव्यय डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा - वादीगण एकपक्षीय रूप से सव्यय डिक्री किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जाती है कि वे वादीगण व प्रतिवादी सं 5 व 6 की गाटा संख्या 83 रकबा 0.3380 हे0 विवादित रकबा 0.3380 हे0 स्थित ग्राम भांटी परंतह0 पट्टी प्रतापगढ़ जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्सर 'अ,ब,स,द' से दर्शित किया गया है, पर वादीगण द्वारा बनाई गई बाउंड्री एवं वृक्ष, मेंड को क्षतिग्रस्त ना करें और ना ही वादीगण व प्रतिवादी सं 5 व 6 के विवादित भूमि में शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप करें।

दिनांक: 24-02-2021

(प्रदीप यादव)
अपर सिविल जज (जूंडिं)
कक्ष सं० 31, प्रतापगढ़ ।

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 24-02-2021

(प्रदीप यादव)
अपर सिविल जज (जूंडिं)
कक्ष सं० 31, प्रतापगढ़ ।



(Pradeep Yadav)
Addl. Civil Judge (J.D.),
Court NO. 31, Pratapgarh


Prepared by
Clerk Surendra Pandey


Checked by
Reader Amitabh Verma